कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/1169/2025 दि0 लखनऊः अगस्त 29, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1070/2025 दिनांक 24–07–2025 के द्वारा माह सितम्बर, 2025 में **जनपद मुरादाबाद** में युगलपीठ का गठन **दिनांक 01–09–2025 से** 04–09–2025 तक किया गया था । युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–मुरादाबाद एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–बरेली को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ–बरेली के पत्र संख्या–215 दिनांक 29–08–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि बरेली पीठ में दिनांक 01–09–2025 एवं 02–09–2025 में मुख्यालय का निरीक्षण प्रस्तावित है जिसके कारण उनके द्वारा मुरादाबाद में उपरोक्त गठित युगल पीठ को निरस्त/संशोधित करनें की प्रार्थना की है ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1070/2025 दिनांक 24–07–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद–मुरादाबाद में **दिनांक 01–09–2025 से 04–09–2025** तक गठित युगलपीठ में से **दिनांक 01–09–2025 से 02–09–2025 तक गठित युगल पीठ, तत्काल प्रभाव से निरस्त** की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-29.08.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1169/2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–बरेली।
2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–मुरादाबाद
3– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
4– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।